मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2007

क्रमांक 144 –म.प्र.विनिआ – 2007– विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 43(1) सहपठित धारा 181(2)(टी), धारा 50 सहपठित धारा 181 (2)(एक्स) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 9(जे) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 861/मप्रविनिआ/04 दिनांक 27 मार्च, 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में ग्यारहवां संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) यह संहिता ''**मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (ग्यारहवां संशोधन) (एजी – 1 (xi), वर्ष 2007)**'' कही जावेगी ।

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगी ।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. अध्याय – 11 में संशोधन

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में कण्डिकाओं 11.1 एवं 11.2 को निम्न कण्डिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''11.1 अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय असफल होने पर उपभोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार के नुकसान, क्षति, अथवा मुआवजे के लिये किये गये दावे के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा यदि विद्युत आपूर्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, सैनिक विद्रोह, सिविल विद्रोह, दंगे, हमले, बाढ़, अग्नि दुर्घटना, हड़ताल, तालाबंदी, तूफान, अन्धड़, बिजली गिरने, भूकंप या दैवीय प्रकोप के कारण हो ।

11.2 यदि अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य किये गये किसी अनुबंध के चालू रहते किसी भी समय, उपभोक्ता द्वारा विद्युत का प्रयोग, किसी भी समय विशेष आकस्मिक परिस्थितियां जैसे कि युद्ध, सैनिक विद्रोह, सिविल विद्रोह, दंगे, आतंकवादी हमलें, बाढ़, अग्नि दुर्घटना, हड़ताल (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित किये जाने के अध्यधीन), तालाबंदी (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित किये जाने के अध्यधीन), तूफान, अन्धड़, बिजली गिरने, भूकंप या दैवीय प्रकोप के कारण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संभव न कर पाये तो उपभोक्ता ऐसी परिस्थिति के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को 7 दिवस की लिखित सूचना देकर, संबंधित वोल्टेज स्तर पर संविदा मांग की आवश्यक एवं शक्य अनुमत सीमा में घटाई गयी मात्रा में विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर सकेगा । ऐसे समस्त प्रकरणों में जहां कि उपभोक्ता विशेष आकस्मिक परिस्थितियों संबंधी दावा करता है, वहां पर अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकृत प्रतिनिधि इसका सत्यापन करेगा । उपभोक्ता को इस प्रकार की सुविधा केवल उसी दशा में उपलब्ध होगी यदि घटाई गई विद्युत प्रदाय की मात्रा न्यूनतम 30 दिवस तथा अधिकतम छः माह के लिये हो । उपर्युक्त घटी हुई विद्युत आपूर्ति की अवधि को उपभोक्ता के प्रारंभिक अनुबंध काल में जोड़ा नहीं जाएगा बल्कि अनुबंध को इस कम मात्रा की कालावधि के बराबर अवधि के लिये आगे बढ़ा दिया जावेगा ।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, आयोग सचिव